न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 30/2014

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. श्री संजय मंगल पुत्र श्री सूरजभान गुप्ता मालिक एवं विक्रेता संजय एजेन्सी जामा मस्जिद भरतपुर निवासी मोरी चारबाग भरतपुर।
2. श्री सचिन यादव निदेशक हरदयाल मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 जयपुर।
3. श्री प्रवीन कुमार यादव निदेशक हरदयाल मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 जयपुर।
4. श्री अमोल यादव निदेशक हरदयाल मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 जयपुर।
5. श्री हरदयाल सिंह निदेशक हरदयाल मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 जयपुर।
6. फर्म हरदयाल मिल्क प्रोडेक्ट प्रा0लि0 181–ए सिन्धी कॉलोनी बनीपार्क जयपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

उपस्थिति :

1. श्री सुरेशचंद माथुर वकील गैरसायल ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांक : 11.6.2018**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल मय वकील उपस्थित। प्रार्थी अनुपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 21.6.2013 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की फर्म संजय ऐजेन्सी जामा मस्जिद भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु गत्ते के कार्टून में 48 डिब्बे प्लास्टिक पैक 200 ग्राम प्रति घी हरदयाल ब्राण्ड पाये गये। जिनमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–491/एक्ट/2013/494 दिनांक 5.7.2013 द्वारा उक्त घी हरदयाल ब्राण्ड का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप स्तर के घी (हरदयाल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि उसके द्वारा गहन जांच एवं परीक्षण के उपरान्त ही अपनी बर्षो पुरानी फर्म से घी (हरदयाल ब्राण्ड) व अन्य खाद्य वस्तू विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये घी (हरदयाल ब्राण्ड) में कोई मिलावट अथवा पैकेजिंग अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल का यह भी कथन है कि उसके द्वारा नमूना मिथ्याछाप आते ही उक्त प्रोडेक्ट बन्द कर दिया है और कंपनी भी बन्द हो गई है। प्रार्थी ने अपने फर्म पर उसी समय से ही हरदयाल घी का विकय पूर्णतया बन्द कर दिया है। गैर सायल की यह निजि गलती नहीं है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए घी आदि का विकय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म संजय ऐजेन्सी जामा मस्जिद भरतपुर से आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विकय हेतु घी (हरदयाल ब्राण्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–491/एक्ट/2013/494 दिनांक 5.7.2013 द्वारा उक्त घी (हरदयाल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्या छाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक घी इत्यादि विकय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000053 दिनांक 11.6.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.6.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official